तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 47/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/77) बअनवान धनसिंह के कायम मुकाम भंवरसिंह व अन्य बनाम खेतसिंह के कायम मुकाम जीवराजसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

धनसिंह के कायम मुकाम भंवरसिंह व अन्य

बनाम

खेतसिंह के कायम मुकाम जीवराजसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री सज्जनसिंह, श्री अर्जुन तोराणा अपीलांट्स
2. श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1/1 से 03
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 04

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/389/2024 अनवान खेतसिंह व अन्य बनाम धनसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 13 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा जिसमें अपीलांट्स 1/2 हिस्से के रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है तथा मौके पर काविज काश्त है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष केवियट प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, किंतु विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा केवियटर प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पर पिछले तीन साल से अपीलांट्स का मकान बन रहा है, जिसके संबंध में रेस्पोडेंट्स द्वारा कभी भी उज्र एतराज नहीं किया गया था। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य अन्य खसरान् की भूमि को लेकर एक अन्य राजस्व वाद विचाराधीन चल रहा एवं उक्त वाद में अपीलार्थीगण वादी होने से प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण व अन्य से द्वेष भावना व रंजिश रखने लगे, जिसके चलते प्रत्यर्थीगण ने उक्त झूठा वाद प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण के लगभग दो वर्ष पूर्व से चल रहे नये मकान के निर्माण कार्य को रुकवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। उक्त मकान में पत्थरों का सम्पूर्ण कार्य हो चुका है व मकान में केवल मात्र फिनिशिंग का कार्य शेष रहा है। फिनिशिंग के कार्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण मकान का निर्माण भी पुरा हो चुका है, परन्तु प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से अन्य खसरान की भूमि को लेकर चलने वाले मुकदमे के कारण द्वेष भावना रखने लगे तथा उक्त द्वेष व बदले की भावना के चलते प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध वाले वाले उक्त वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रत्यर्थीगण की बदनियती को दर्शाता है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 375 की भूमि में वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अपीलार्थीगण की ढाणीयॉ बसी हुई है जो राजस्व रेकर्ड व सेटलाईट नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त खसरा संख्या 375 की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रारम्भ से ही आबादी की भूमि रही है एवं आबादी की भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान राजस्व न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं होने भी प्रत्यर्थीगण का वाद प्रथमदृष्टया किसी भी सूरत में कानूनन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा केवियट को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया तथा आदेश 39 नियम 03 सीपीसी के प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई। इस कारण अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जावे

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स स्व. कुम्भसिंह के वारिसान् नहीं है। अपीलांट्स नामांतरकरण के इन्द्राज के आधार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है। रेस्पोडेंट्स को इस तथ्य की जानकारी पूर्व विचाराधीन दावे से होने से उनके द्वारा अविलंब वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित करवाये बिना निर्माण करने पर आमादा है, जिसकी छूट अपीलांट्स को नहीं दी जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही कर अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अदालत हाजा की राय में अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने का समुचित अवसर प्राप्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 47/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/77) वजनवाल पन्नेसिंह के कायम मुकाम भंवरसिंह व अन्य बनाम खेतसिंह के कायम मुकाम जीवराजसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि आबादी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलांट्स के उक्त उज्र का निस्तारण विचारण न्यायालय में मूल वाद में तय होना है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर